IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHAIBASA

Date	Order	Remarks
27-11-20	सी०सी०ए० केस संख्या–08 / 2019 राज्य–बनाम–मो० जावेद उर्फ मुन्ना **<u>आ दे श</u>** यह वाद पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–228 / डी०सी०बी०, दिनांक–11.04.2019 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी मो० जावेद उर्फ मुन्ना, पिता–शमसुल हक, साकिन–गरीब बस्ती, थाना–सदर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा–3(3)b(i) के अन्तर्गत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है। झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) b(ii) में निहित प्रावधान के अनुसार विपक्षी मो० जावेद उर्फ मुन्ना को कार्यालय पत्रांक 311(बी) / विधि, दिनांक 24.04.2019 द्वारा तामिला कराने हेतु सूचना निर्गत किया गया। जिसके क्रम में मो० जावेद उर्फ मुन्ना द्वारा दिनांक 24.05.2019 को तामिला दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव में आरोपी अलतमस आलम के विरूद्ध निम्नवत अपराधिक इतिहास को आधार बनाया गया। 1. मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 63 / 03 दिनांक 26.06.03 धारा 379 / 411 भा0द0वि0 के वादी कृष्णा कच्छप पिता स्व0 शबरीन कच्छप ग्राम महुलसाई थाना मुफ्फसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त मो0 जावेद उर्फ मुन्ना पिता मो0 राजकुमार सा0 बडी बाजार थाना सदर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध वादी के घर से पानी मोटर पम्प चोरी कर मोटर पम्प को बाजार में बेचने के दौरान रंगे हाथ पकडे जाने के आरोप में अंकित किया गया। अनुसंधानोपरान्त अपराधकर्मी मो0 जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 2. चक्रधरपुर थाना काण्ड संख्या 12(08 दिनांक 12.08.08 धारा 395 / 397 / 412 भा0द0वि0 के वादी अपने अन्य राहगियों के साथ दिनांक 11.08.08 को टाटा बडबील पैसेन्जर ट्रेन यात्रा कर रहे थे। खरसावाँ स्टेशन से ट्रेन खुलने के पश्चात टाटा से सवार होकर आ	

Date	Order	Remarks
	रहे एक लड़का तथा सिनी स्टेशन पर सवार पाँच अन्य अपराधकर्मी पिस्तौल का भय दिखाकर वादी एवं अन्य यात्रियों से सात हजार रुपया, मोबाईल व अन्य सामानों को लूट लिये। जिसके आधार पर काण्ड दर्ज कराया गया है । अनुसंधान के क्रम में अपराधकर्मी मो0 जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 3. सदर थाना काण्ड संख्या 58/17 दिनांक 23.05.17 धारा 394/411 भा0द0वि0 के वादी किशन गोप पिता मानकी गोप ग्राम कुन्दोबेड़ा थाना मुफ्फसिल जिला चाईबासा के फर्दबायन के आधार पर अपराधकर्मी मुन्ना उर्फ जावेद व इम्तेयाज के भाई आलम गीर के विरुद्ध पिस्तौल का भय दिखाकर रुपये लूट करने के आरोप में अंकित किया गया है। काण्ड में अनुसंधान पूर्ण कर संलिप्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा 394/411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 4. सदर थाना काण्ड संख्या 59/17 दिनांक 24.05.17 धारा 413/414/34 भा0द0वि0 के वादी स०अ०नि० हरेराम सिंह सदर थाना चाईबासा के लिखित आवेदन के आधार पर मो0 जावेद उर्फ मुन्ना पिता शमसुल हक सा0 गरीब बस्ती थाना सदर जिला प0 सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध चोरी के मोबाईल के व्यापार करने के आरोप में अंकित किया गया है। अनुसंधान पश्चात काण्ड में अपराधकर्मी मो0 जावेद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। सदर थाना सनहाः-सदर थाना सनहा संख्या 14/19 दिनांक 14.03.19 दुरभाष पर सूचना मिली कि जावेद उर्फ भुन्ना पे० शमशुल हक दोनों सा0 गरीब बस्ती थाना सदर जिला प0 सिंहभूम,चाईबासा अपराधकर्मी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आये हुए है। इन दोनों पर पूर्व में चोरी,लूट, व पॉकेटमारी के आरोप में थाना में काण्ड दर्ज है। ये थाना के दागी भी है। इस आशय का सनहा दर्ज किया। कुख्यात सक्रिय दुर्दान्त अपराधकर्मी मो० जावेद उर्फ मुन्ना गैंग का सदस्य है तथा विगत कई वर्षों से मुफ्फसिल थाना, चकधरपुर थाना एवं सदर थाना क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र एवं छुपने का स्थान बना रखा है। इस कुख्यात सक्रिय अपराधकर्मी का मुख्य कार्य सदर थाना में चोरी, डकैती, लूट, पॉकेटमारी छिनतई, मारपीट तथा सांप्रदायिक समरसता	

Date	Order	Remarks
	को भंग करना तथा आम जनता में दहशत पैदा करना है तथा आम–जनता भयभीत है। इनका अपराधिक गतिविधि के कारण चाईबासा जिला के मुफ्फसिल थाना में एक काण्ड, चक्रधरपुर थाना में एक काण्ड एवं सदर थाना में दो काण्ड में आरोपित है। इसके अतिरिक्त इस अपराधकर्मी के विरूद्ध सदर थाना दैनिकी 14/19 दिनांक 14.03.19 दर्ज किया गया है। जिसका विस्तृत उल्लेख अनुम.डल पुलिस पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन किया गया है। सक्रिय अपराधकर्मी मो० जावेद उर्फ मुन्ना, पिता–शमसुल हक, साकिन–गरीब बस्ती, थाना–सदर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा 1. मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 63/03, दिनांक–26.06.03 धारा 579/411 भा0द0वि0, 2. चक्रधरपुर था0का0सं0 12\08, दिनांक–12.08.08 धारा 395/397/412 भा0द0वि0 3. सदर था0का0सं0 58/17, दिनांक 23.05.17 धारा 394/411 भा0द0वि0 एवं 4 सदर था0का0सं0 59/17, दिनांक 24.05.17 धारा 413/414/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मण्डलकारा चाईबासा के काराधीन थे। वर्तमान में कारा से जमानत पर मुक्त हो गये है। मो० जावेद उर्फ मुन्ना द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक मोका देने हेतु अनुरोध किया गया एवं अधोहस्ताक्षरी को आश्वस्त किया गया कि अभी वो एक शांति प्रिय एवं कानुन का पालन करने वाला नागरिक है। उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में उनके विरूद्ध लोक शांति भंग करने संबंधी कोई आरोप इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विपक्ष के विरूद्ध पाँच मामलों का जिक्र पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में किया गया है। जिसमें से चार मामला में आरोप पत्र समर्पित है। एक वर्ष से अधिक अवधी के दौरान उनके विरूद्ध लोक शांति भंग करने संबंधी किसी प्रकार का आसूचना अप्राप्त है। उक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी अलतमस आलम को अंतिम चेतावनी देते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 27/11/20 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	Sd.